1 आपराधिक प्रकरण कमांक 1437/2011

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश प्रकरण क्रमांक 1437 / 2011 संस्थापित दिनांक 19 / 12 / 2011

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

> > अभियोजन

- बनाम

 1. जितेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 37 वर्ष
 2. पूरन पुत्र नारायण सिंह उम्र 36 वर्ष
 3. अशोक पुत्र माठू सिंह उम्र 47 वर्ष
 4. धर्मेन्द्र पुत्र माठू सिंह उम्र 42 वर्ष
 िक्राप्टि निवासीगण ग्राम निबरौल थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

(अपराध अंतर्गत धारा– 279, 337, 294, 506 भाग–2 एवं 336 भा.द.सं.) (राज्य द्वारा एडीपीओ– श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता- श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव)

::- नि र्ण य -::

(आज दिनांक 10.01.18 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 23.08.11 को रात्रि करीबन 08:00 बजे ग्राम खडेर के आगे मी रोड पर थाना गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बुलैरो क्रमांक एम.एच.02 टी. सी.ए. ८४० को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी मोहकमसिंह की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसमें बैठे अशोक योगी को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति कारित करने, फरियादी मोहकम सिंह एवं आहत अशोक योगी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व स्नने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी मोहकम सिंह एवं आहत अशोक योगी को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय उपेक्षा अथवा उतावलेपन से कट्टे एवं बंदूक से हवाई फायर कर मानवजीवन एवं फरियादी मोहकम सिंह एवं आहत अशोक योगी का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करने हेतू भा.दं.सं. की धारा २७७, ३३७, २९४, ५०६ भाग-२ एवं ३३६ के अंतर्गत आरोप है।

संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23.08.11 को फरियादी मोहकम सिंह गोहद बाजार करने गया था। उसके साथ हाकिम सिंह भी मोटरसाइकिल पर बैठा

था। जनपद पंचायत कार्यालय गोहद में अशोक योगी मिले थे उन्होंने गांव के चौकीदार डमरू खां को बुलाया था तो वहां पर गांव के गुड्डू उर्फ धर्मेन्द्र, अशोक सिंह, जितेन्द्र सिंह उससे झगडा करने लगे थे इसके बाद वह अशोक योगी के साथ मोटरसाइकिल से करीबन सात बजे गांव जाने के लिए रवाना हुआ था। उसकी मोटरसाइकिल खंडेर के आगे पहुंची थी तो एक सफेद बुलैरो गाडी को उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और उसकी मोटरसाइकिल में कट मार दी थी जिससे उसकी मोटरसाइकिल गिर पडी थी एवं अशोक के दांहिने पैर के घूटने में चोट आ गई थी। गाडी रूकी थी तो उसने देखा था कि गाडी में गुडड़ उर्फ धर्मेन्द्र, जितेन्द्र सिंह, अशोक सिंह एवं पूरन बैठे थे उक्त लोगों से उसकी पुरानी रंजिश है उक्त लोगों ने उसे मां बहन की गालियां दी थी तथा चारों लोगों ने कट्टे व बंद्क से हवाई फायर करना शुरू कर दिया था जिससे उसका जीवन संकट में पड गया था। वह और अशोक योगी वहां से भागे थे तो चारों लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप० क० 181 / 11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान ६ ाटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया 🌠
- दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
- इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-5.
- क्या आरोपीगण ने दिनांक 23.08.11 को रात्रि करीबन 08:00 बजे ग्राम खडेर के आगे मौ रोड गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बुलैरो क्रमांक एम.एच.02 टी.सी.ए. 840 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया?
- क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपित बुलैरो क्रमांक एम.एच.02 टी.सी.ए. ८४० को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए फरियादी मोहकमसिंह की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसमें बैंडे अशोक योगी को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति कारित की?
- क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मोहकम सिंह एवं अशोक योगी को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया?
- क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से कट्टे एवं बंदूक से हवाई फायर कर मानवजीवन एवं फरियादी मोहकम सिंह तथा आहत अशोक योगी का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मोहकम सिंह अ0सा01, आहत अशोक अ0सा02, साक्षी हािकम अ0सा03, सोनू सिंह अ0सा04, सेवािनवृत्त प्रधान आरक्षक रामकरन शर्मा अ0सा05, ए०एस०आई तहसीलदार सिंह भदौरिया अ0सा06 सेवािनवृत्त एस० आई० एस० बी० सिंह राटौर अ0सा07 एवं डॉ० धीरज गुप्ता अ0सा08 को परीक्षित कराया गया है, जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

<u>निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</u> विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2, 3 एवं 4

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 🐼 उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी मोहकम सिंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग साढे चार साल पहले की रात्रि आठ बजे की है। वह ग्राम निबरौल से हाकिम सिंह के साथ मोटरसाइकिल से आ रहा था मोटरसाइकिल को हाकिम सिंह चला रहा था वह गोहद ब्लॉक ऑफिस में अशोक योगी से मिला था अशोक योगी ने चोकीदार डमरू खां को बुलाया था तो आरोपीगण चौकीदार को आने नहीं दे रहे थे आरोपीगण ने उसे गालियां दी थी एवं जान से मारने की धमकी दी थी उस समय वह वहां से चले गए थे। वह लोग मंडी के पास जगमोहन शर्मा के घर के पास बैठे रहे थे पानी बंद होने पर वहां से निकले थे। उन्होंने पुलिस को बताया था कि आरोपीगण झगडा करने पर उतारू हैं एवं उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं परंतु पुलिस ने उनकी बात अनसुनी कर दी थी। जैसे ही वह ग्राम खडेर से आगे निकले थे तो एक बुलैरो सफेंद रंग की सामने से आ रही थी। बुलेरों को देखकर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी थी उसके चालक ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। बुलैरो गाडी में अशोक, धर्मेन्द्र उर्फ गुड्डू एवं पूरन बैठे हुए थे। उक्त लोगों ने उनके उपर अंधाध्रंध फायरिंग की थी वह अपने प्राण बचाकर वहां से निकल गया था। बरथरा पहुंचकर उसने पुलस को फोन किया था एवं अपने घरवालों को फोन किया था घरवालों ने एस0पी0 को फोन किया था एस0पी0 ने थाने पर फोन करके पुलिस को घटनास्थल पर भेजा था पुलिस वहां आई थी और उसने कहा था कि तुम्हारे कपडे भीगे हैं कल थाने आना तब रिपोर्ट लिखेंगे पुलिस उन्हें साथ में गांव लेकर आई थी। पुलिस ने वहां पर दो जवान छोड दिए थे। उसने सुबह घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने घटना के अनुसार उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। रिपोर्ट प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बुलैरा गाडी को उसके गांव का लडका जयवीर चला रहा था।
 - प्रतिपरीक्षण के पद क0 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि प्र0पी01 की रिपोर्ट पर

9.

पुलिस ने उसके जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए थे। पद क0 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने पुलिस के दवाब में आकर प्र0पी01 पर हस्ताक्षर किए थे। पद क0 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि बुलैरों को उसके गांव का जयवीर चला रहा था जयवीर ने ही उसे टक्कर मारी थी टक्कर लगने से अशोक योगी के पैर में चोटें आई थी उसके कोई चोट नहीं थी। आरोपीगण ने उसके उपर 20—25 फायर किए थे। आरोपीगण से उसकी रंजिश दो कारणों से है पहली चुनावी रंजिश है एवं दूसरी उसने विक्रम सिंह के भाई कल्याण सिंह के भाई की हत्या के प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध गवाही दी थी।

- 10. आहत अशोक अ०सा०२ हाकिम अ०सा०३ सोनू सिंह अ०सा०४ ने भी फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०१ के कथन के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 11. ए०एस०आई तहसीलदार सिंह भदौरिया अ०सा०६ ने प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०८ ने आहत अशोक की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०११ एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी०१२ को प्रमाणित किया है। सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक रामकरन शर्मा अ०सा०५ ने बुलैरो की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी०३ को प्रमाणित किया है एवं सेवानिवृत्त एस. आई. एस०बी० सिंह राठौर अ०सा०७ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मोहकम सिंह आ०सा०१ ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना के वक्त बुलेरो गाडी को उसके गांव का लड़का जयवीर चला रहा था तथा जयवीर ने ही उसे टक्कर मारी थी जयवीर उसके गांव का है परंतु यह बात कि घटना के समय बुलेरो गाडी को जयवीर चला रहा था एवं जयवीर ने उसे टक्कर मारी थी फरियादी मोहकम सिंह द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र०पी०१ एवं पुलिस कथन में नहीं बताई गई है। यदि वास्तव में वह घटना के समय बुलेरो चालक का नाम जानता था तो उसके द्वारा यह बात प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में अवश्य बताई जाती परंतु यह बात कि जयवीर बुलेरो चला रहा था एवं जयवीर ने उसे टक्कर मारी थी फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०१ द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र०पी०१ एवं पुलिस कथन में नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०१ के कथन प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से पुष्ट नहीं रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जयवीर आरोपी नहीं है एवं फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०१ ने जयवीर द्वारा बुलेरो गाडी से टक्कर मार देना बताया है। फरियादी के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि आरोपी जितेन्द्र, पूरन, अशोक एवं धर्मेन्द्र घटना के वक्त बुलेरो गाडी को नहीं चला रहे थे एवं आरोपीगण द्वारा एक्सीडेंट नहीं किया गया था।
- 14. फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०१ ने अपने कथन में यह भी बताया है कि बरथरा

गांव से उसने पुलिस को और अपने घरवालों को फोन किया था घरवालों ने एस0पी0 को फोन किया था तथा एस0 पी0 ने थाने पर फोन करके पुलिस को घटनास्थल पर भेजा था। पुलिस घाटनास्थल पर आई थी एवं पुलिस ने दूसरे दिन रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा था परंतु यह सब बातें फिरयादी मोहकम सिंह अ0सा01 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र0पी01 एवं पुलिस कथन में नहीं बताई गई है इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी फिरयादी मोहकम सिंह अ0सा01 के कथन प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एंव उसके पुलिस कथन से विरोधाभाषी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

- 15. आहत अशोक अ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण ने अपनी बुलैरों से उनके टक्कर मार दी थी जिससे वह और मोहकम सिंह गिर गए थे परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि बुलैरों को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि चारों आरोपीगण ने जान से मारने की नियत से उसके उपर हवाई फायर किए थे परंतु यह बात कि आरोपीगण ने जान से मारने की नियत से उसके उपर फायर किए थे, आहत अशोक अ0सा02 द्वारा अपने पुलिस कथन प्र0डी01 में नहीं बताई गई है। इस प्रकार आहत अशोक अ0सा02 के कथन प्र0डी02 के पुलिस कथन से विरोधाभाषी रहे हैं एवं अशोक अ0सा02 के कथनों से यही दर्शित होता है कि अशोक द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को अत्यंत बढाचढाकर प्रस्तुत किया गया है जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 16. जहां तक साक्षी हाकिम अ०सा०३ एवं सोनू सिंह अ०सा०४ के कथन का प्रश्न है तो उक्त साक्षीगण ने भी अपने कथन में आरोपीगण द्वारा बुलैरों से मोहकम सिंह की मोटरसाइकिल में टक्कर मार देना तत्पश्चात आरोपीगण द्वारा फायर करना बताया है। साक्षी हाकिम अ०सा०३ ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण बुलैरों छोड़कर भाग गए थे पंरतु यह बात मोहकम सिंह अ०सा०1, अशोक अ०सा०2 एवं सोनू सिंह अ०सा०4 द्वारा भी नहीं बताई गई है। सोनू सिंह अ०सा०4 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि जिस समय मोहकम सिंह को टक्कर मारी गई थी उस समय मोहकम सिंह की गाडी चल रही थी रोड़ के किनारे खड़ी नहीं थी जबिक फिरयादी मोहकम सिंह अ०सा०1 एवं अशोक अ०सा०2 का कहना है कि बुलैरों को देखकर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रोक ली थी इस प्रकार उक्त बिंदु पर सोनू सिंह अ०सा०4 के कथन भी फिरयादी मोहकम सिंह अ०सा०1 एवं अशोक अ०सा०2 के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 17. यहां यह भी उल्लेखीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मोहकम सिंह अ0सा01 द्वारा यह बताया गया है कि बुलैरो गाडी को जयवीर चला रहा था। आहत अशोक अ0सा02 हाकिम अ0सा03 एवं सोनू सिंह अ0सा04 ने आरोपीगण द्वारा बुलैरो से टक्कर मार देना बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चारों आरोपीगण में से कौन सा आरोपी घटना के समय बुलैरो को चला रहा था। इसके अतिरिक्त फरियादी मोहकम सिंह अ0सा01 द्वारा यह बताया गया है कि बुलैरो को उसके गांव का जयवीर चला रहा था। जयवीर

प्रकरण में आरोपी नहीं है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि चारों आरोपीगण में से कौन आरोपी घटना के वक्त बुलैरों को चला रहा था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरूद्ध भादसं की धारा 279 एवं 337 का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

- 18. जहां तक आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां उच्चारित किए जाने का प्रश्न है तो फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०1 अशोक अ०सा०2 हािकम अ०सा०3 ने सभी आरोपीगण द्वारा गालियां दिया जाना बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर फरियादीगण को क्षोभ कारित हुआ था। जहां कई आरोपीगण पर गालियां दिए जाने का आरोप हो वहां फरियादीगण का मात्र यह कह देना पर्याप्त न होगा कि सभी आरोपागण ने गालियां दी थी। साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विर्निदिष्ट स्वरूप की होनी चािहए। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- 19. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०1 एवं अशोक अ०सा०2 तथा हाकिम अ०सा०3 ने सभी आरोपीगण द्वारा गालियां दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द अभिवंचित किए थे जिन्हें सुनकर फरियादीगण को क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भादसं की धारा 294 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 20. जहां तक आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने का प्रश्न है कि फरियादी मोहकम सिंह अ०सा01 अशोक अ०सा02 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने क्या कहा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भादसं की धारा 506 भाग—2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादीगण को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो। मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमिकयों से भादसं की धारा 506 भाग—2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मोहकम सिंह अ०सा01 एवं अशोक अ०सा02 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से शब्द उच्चारित किए थे। ऐसी स्थिति में भादसं की धारा 506 भाग—2 के भी संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 21. फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०1 अशोक अ०सा०2 हाकिम सिंह अ०सा०3 एवं सोनू अ०सा०4 द्वारा यह बताया गया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने अपनी बंदूकों से फायर किए थे। फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०1 का कहना है कि आरोपीगण ने उनके उपर अंधाधुंध फायरिंग की थी एवं अशोक अ०सा०2 का कहना है कि आरोपीगण ने जान से मारने की नियत से उनके

उपर फायर किए थे। फरियादी मोहकम सिंह अ०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि आरोपीगण ने उसके उपर 20—25 फायर किए थे परंतु प्रकरण में आरोपीगण से कोई हथियार बंदूक अथवा कट्टे जप्त नहीं किए गए हैं। विवेचक एस०बी०सिंह राठौर अ०सा०७ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि आरोपीगण के मकान की तलाशी लेने पर बंदूक या कट्टा नहीं मिला था एवं उनके द्वारा आरोपीगण के मकान की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा प्र०पी०९ एवं प्र०पी०१० बनाया गया था।

- 22. इस प्रकार प्रकरण में फरियादी मोहकम सिंह अ0सा01 एवं अशोक अ0सा02 हाकिम सिंह अ0सा03 तथा सोनू अ0सा04 ने आरोपीगण द्वारा बंदूकों से फायर करना बताया है परंतु प्रकरण में आरोपीगण से बंदूक अथवा कट्टे की जप्ती नहीं हुई है। फरियादी मोहकम सिंह अ0सा01 ने यह भी बताया है कि आरोपीगण ने उसके उपर 20—25 फायर किए थे परंतु प्रकरण में घटनास्थल से चले हुए खाली खोखे भी जप्त नहीं हुए हैं। चूंकि प्रकरण में न तो आरोपीगण से बंदूकें अथवा कट्टे जप्त हुए हैं एवं ना ही घटनास्थल से खाली खोखे जप्त हुए हैं ऐसी स्थिति में फरियादी एवं साक्षीगण का यह कथन कि आरोपीगण ने हवाई फायर किए थे, विश्वनीय नहीं हैं तथा प्रकरण में आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने बंदूकों एवं कट्टों से हवाई फायर किए थे।
- 23. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण फरियादी मोहकम सिंह अ0सा01 अशोक अ0सा02 हाकिम अ0सा03 एवं सोनू सिंह अ0स04 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। फरियादी मोहकम सिंह अ0सा01 के कथन तात्विक बिंदुओं पर प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभाषी रहे हैं शेष साक्षी औपचारिक हैं। फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व रंजिश प्रमाणित है। प्रकरण में आरोपीगण से हथियारों की जप्ती नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 24. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।
- 25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 23.08.11 को रात्रि करीबन 08:00 बजे ग्राम खंडेर के आगे मौ रोड पर थाना गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बुलैरों क्रमांक एम.एच.02 टी.सी.ए. 840 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी मोहकमिसंह की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसमें बैठे अशोक योगी को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहित कारित की, फरियादी मोहकम सिंह एवं आहत अशोक योगी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुनने वालों को क्षोम कारित किया, फरियादी मोहकम सिंह एवं आहत अशोक योगी को

जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय उपेक्षा अथवा उतावलेपन से कट्टे एवं बंदूक से हवाई फायर कर मानवजीवन एवं फरियादी मोहकम सिंह एवं आहत अशोक योगी का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी जितेन्द्र, पूरन, अशोक एवं धर्मेन्द्र उर्फ गुड्डू में से प्रत्येक को भादसं की धारा 279, 337, 294, 506 भाग—2 एवं 336 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

26. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

27. प्रकरण में जप्तशुदा बुलैरो कमांक एम.एच.02 टी.सी.ए. 840 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 10.01.18 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

प्रतिष्ठा अवस्थी) ाम श्रेणी स्थायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ०प्र०) गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)